18-5-2016

उभय पक्षों को राजस्व लोक अदालत व्यास
भोपके द्वारा के नोटिस जारी करने के
बाद पत्रावली आज राजस्व लोक
अदालत अदल खेत केड बोरड
पर प्रस्तुत हुयी। उभय पक्ष उप०।
दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। वाद
ग्रस्त आराजी मात के बारे के
सर्वे के हिसाब 15-9-05 को निर्णय
हो चुका है। वादी को कोई
आपत्ति हो तो सक्षम न्यायालय के
अपील करने हेतु स्वतंत्र है
इस वाद के द्वारा वादी को
किसी प्रकार की रिलीफ नहीं
दी जा सकती है अतः वाद
खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसलशुमार होकर नस्ती
से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

पहेलीलाल मीणा

रामलाल

रामचन्द्र

रा० लड्ढा

रा० न्यायाधीश

हनीराम मीणा

Scanned by CamScanner